

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 210/2017-18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

किशोरी भेंगरा

- विक्रेता

सुप्रभा गुड़िया

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

26.07.18

आदेश

आवेदक किशोरी भेंगरा पिता स्व० मानुएल भेंगरा ग्राम बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने सुप्रभा गुड़िया पति एडवर्ड गुड़िया ग्राम बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	60	145	0.10

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र एवं खतियान की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 209/रा० दिनांक 16.03.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत का नाम सामुएल मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार अलविश वो तित्तुस मुण्डा वगैरह है। आवेदक के हिस्से में कुल रकबा 5.81 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 15000.00 (पन्द्रह हजार) रू० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 5.71 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण किशोरी भेंगरा पिता स्व० मानुएल भेंगरा को सुप्रभा गुड़िया पति एडवर्ड गुड़िया के साथ ग्राम बिचना के खाता सं० 60, खेसरा संख्या 145 का कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 15000.00 (पन्द्रह हजार)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

26/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

3
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।